भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्राप्त करने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों/सूचनाओं की
उदाहरण रूपी सूची। सभी दस्तावेज/सूचनाएं दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएं।

1.	न्यूनतम 200 लाख रुपए की निवल स्वाधिकृत निधियाँ अपेक्षित हैं।
2.	आवेदनपत्र के, उचित रूप में बंधे हुए, दो अलग-अलग सेट अलग- अलग फाइलों में प्रस्तुत किए जाएं।
3.	निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अनुबंध II प्रस्तुत किया जाए ।
4.	अनुबंध III (निदेशकों की प्रोफाइल) हरेक निदेशक के लिए अलग- अलग भरा जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन फर्मों/कंपनियों/संस्थाओं में निदेशकों के पर्याप्त हित हों, उनके बैंकरों के ब्योरे दिए जाएं।
5.	यदि निदेशक किसी अन्य कंपनी से असोसिएट है या उसमें उसके पर्याप्त हित हैं तो कंपनी (क्या एनबीएफसी है या नहीं) के कार्यों का उल्लेख किया जाए।
6.	आवेदन पत्र, उसकी विषयवस्तु को प्रस्तुत करने एवं हस्ताक्षर कर्ता को एतदर्थ अधिकृत करने के अनुमोदन देने संबंधी बोर्ड के विशिष्ट संकल्प ।
7.	बोर्ड का संकल्प कि कंपनी ने विगत (अवधि का उल्लेख करें) में जनता से कोई भी जमाराशि नहीं ली है/आवेदन की तारीख को उसके पास जनता की जमाराशियाँ नहीं है तथा भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना जनता से जमाराशियाँ स्वीकार नहीं करेगी।
8.	बोर्ड का इस आशय का संकल्प कि कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कार्य नहीं कर रही है/ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार बंद कर दिया है और भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना इसे नहीं करेगी/प्रारंभ नहीं करेगी।
9.	लेखापरीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कंपनी जनता से जमाराशियाँ स्वीकार नहीं कर रही है /जनता की जमाराशियों को धारण नहीं करती है।
10.	लेखापरीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं करती है।
11.	आवेदन की तारीख को निवल स्वाधिकृत निधियाँ।
12.	कंपनी के निदेशकों के पर्याप्त हित के संबंध में भारिबैं. अधिनियम, 1934 के अध्याय III सी की धारा 45एस के अनुपालन का प्रमाणन।
13.	कंपनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों में हुए परिवर्तन संबंधी ब्योरा जिन्हें विधिवत प्रमाणित किया गया हो।
14.	विगत 3 वर्षों के लेखापरीक्षित तुलनपत्र एवं निदेशकों तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें।
15.	मेमोरेंडम में वित्तीय कारोबार से संबंधित शर्तों का ब्योरा।
16.	गत वित्तीय वर्ष में व आवदेन की तारीख तक कंपनी के प्रबंधन में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसका ब्योरा कारणों सहित दें।
17.	अन्य कंपनियों के अर्जन, विलयन का ब्योरा साक्ष्य-दस्तावेजों के साथ।
18.	ग्रुप कंपनियों/असोसिएट कन्सर्न/सहायक/होल्डिंग कंपनियों का ब्योरा।
19.	गत वित्तीय वर्ष में यदि पूंजी में वृद्धि की गई हो तो उसका ब्योरा, कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल आबंटन रिटर्न की प्रति के साथ।
20.	बैंक में जमाशेष/बैंक खातों/बैंक शाखाओं/बैंक के नाम एवं पते का ब्योरा जहॉं से ऋण/क्रेडिट सुविधा आदि प्राप्त की गई।
21.	आगामी 3 वर्षों के लिए कारोबार का प्लान बाजार खंड के उल्लेख सहित जो जनता की जमाराशि के

	सहयोग के बिना किया जाएगा।
22.	आगामी 3 वर्षों के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, परिसंपत्ति/आय पैटर्न का विवरण।
23.	विगत 3 वर्षों में कंपनी के कारोबार/की गतिविधियों पर संक्षिप्त नोट दें एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के कारणों का उल्लेख करें।
24.	क्या कंपनी किसी पूंजी बाजार गतिविधि में सक्रिय है? यदि हाँ! तो क्या सेबी विनियमावली का कभी अननुपालन हुआ? (लेखापरीक्षक द्वारा विवरण को प्रमाणित किया जाए।)
25.	क्या इस कंपनी या किसी अन्य गैबैंविकं/अगैबैंकं को कोई प्रतिषेधकारी आदेश विगत में जारी हुए जिससे/ जिनसे इस कंपनी के निदेशक/प्रवर्तक जुड़े थे? यदि हाँ! तो उसके ब्योरे दें।
26.	क्या कंपनी या उसका कोई निदेश परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138(1) के अपराध सहित किसी आपराधिक मामले में शामिल था/है ?यदि हाँ ! तो उसके ब्योरे दें।
27.	क्या विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग ने कंपनी को पूर्ण मुद्रा परिवर्तक (फुलफ्लेज्ड मनी चेंजर) के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी थी?
28.	क्या कंपनी को विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग ने अनिवासी भारतीयों से जमाराशियाँ स्वीकारने के लिए अधिकृत किया था/ है?
29.	क्या निदेशकों के "उचित एवं सही होने" के मानकों को पूरा किया गया है?

*****